खण्ड–494, अंक–2
सोमवार, 26 श्रावण, शक संवत् 1937
(17 अगस्त, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2015)

(खण्ड 494 में 8 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–8
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग ...	7–10
प्रश्नोत्तर	11–25
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण ...	25
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	25–26
प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा बी0टीसी0 प्रशिक्षण प्राप्त तथा टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग प्रक्रिया आरम्भ न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	27
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर नगर पंचायत (टाउन) स्थित जीर्ण–शीर्ण महिला सामुदायिक केन्द्र एवं डाक्टरों के आवासों का पुनः नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	27
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्वांचल की लगभग 1500 राइस मिलों के हो रहे उत्पीड़न से राहत दिलाने एवं गन्ना मिलों की भांति राहत पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	27–28
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत पड़ाव चौराहे से पोलाव शहीद मजार होते हुए बहादुरपुर तक की क्षतिग्रस्त पिच रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	28–29
जनपद पीलीभीत में बीसलपुर–बिलसण्डा–गोला मार्ग पर गांव टेहरी के पास स्थित पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	29
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर के 02 मुख्य सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	29–30
जनपद बुलन्दशहर में ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को मिलने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	30
जनपद मथुरा स्थित गोवर्धन मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	30–31
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा महाबलपुर से कुरंगा नहर की पटरी होते हुए	31

ग्राम कोरौली तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद सीतापुर के ब्लाक परसेंडी के ग्राम कंजा मजरा पगरोई तथा ग्राम कोड़री मजरा सैदापुर तथा ग्राम तोखीपुरवा मजरा पगरोई तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	31–32
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा और घाघरा नदियों की कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	32
जनपद बुलन्दशहर में कृषि योग्य भूमि के आवंटन में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	32–33
जनपद फिरोजाबाद में मेडिकल कालेज खोले जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को डी0पी0आर0 तैयार कर भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली में अतिवृष्टि ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	34
प्रदेश में व्याप्त सम्पत्ति कर में असमानता को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	34
आवास विकास परिषद् उ0प्र0 द्वारा विकसित कालोनी, विकास नगर स्थित मिनी स्टेडियम की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	34–35
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	35
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–03 सन्, 2015) (सदन के पटल पर रखा गया)...	35
भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	35
भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र–गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	35
भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) (सदन के पटल पर रखा गया)	36
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–7–2005 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	36
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–4–2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	36

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड (प्रथम संशोधन) (सदन के पटल पर रखा गया) 36

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) पच्चीसवां संशोधन नियमावली 2015 (सदन के पटल पर रखी गयी)	36
उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–04–2014 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	37
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का उत्तर	37
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा विधेयक, 2015 (संशोधन) (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	38
उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	38
उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	38
उत्तर प्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	38
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	38–39
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	39
जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	39
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	39
उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	39
उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	39–40
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	40
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	40

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल दल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	40
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	40–41
उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	41
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	41
जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	41
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2013–2014) का आठवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	41
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का नवम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	42
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का दशम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	42
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)...	42
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का बारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	42–43
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	43–44
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित)	44
उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित) ...	44
सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के निरसन पर उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में सहमति (स्वीकृत)	44–46
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	46–49
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	49–51
जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत बी0आर0जी0एफ0 योजना में चयनित 14 ग्राम पंचायतों में किसी	51–52

भी ग्राम पंचायत की कोई विकास परियोजनाओं का चयन वर्ष 2012 से अब तक न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र महराजपुर क्षेत्रान्तर्गत शनिगवां क्षेत्र के निवासियों को सीवर व पेयजल की सुविधा मुहैया कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	52–53
मध्य लखनऊ में जल निकासी हेतु डाली गयी सीवर लाइनों को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी) द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	53–54
जनपद रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक रोहनियां, ग्राम बाबा का पुरवा में निर्मित कच्चे मार्ग पर दबंगों द्वारा किये गये कब्जे को खाली कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	54–55
जनपद हापुड़ में सरकारी भवनों के निर्माण एवं सरकारी वाहन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजराज सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	55
नत्थी	56–58

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान

सोमवार, दिनांक 17 अगस्त, 2015

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य–355

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद़
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
9. अताउररहमान, श्री बरेली
10. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
13. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
21. अमित गौरव यादव, श्री एटा
22. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
25. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमतीप्रतापगढ़
26. अरूण कुमार, डा0 बरेली
27. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
28. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
29. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
30. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
31. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
32. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
34. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
35. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
36. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
37. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
38. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
39. आलमबदी, श्री आजमगढ़
40. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
41. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
42. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
43. आशीष यादव, श्री बदायूं
44. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
45. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री लखनऊ
46. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
47. इकबाल, श्री बिजनौर

48. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
49. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
50. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
51. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
52. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
53. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
54. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्रीलखीमपुर खीरी
55. उदयराज, श्री उन्नाव
56. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
57. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
58. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
59. उमाशंकर, श्री बलिया
60. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
61. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
62. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
63. ओम कुमार, श्री बिजनौर
64. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
65. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
66. काली चरन सुमन, श्री आगरा
67. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
68. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
69. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
70. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
71. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
72. कैलाश, श्री गाजीपुर
73. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
74. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
75. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
76. गजराज सिंह, श्री हापुड़
77. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
78. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
79. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
80. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
81. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
82. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
83. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
84. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
85. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
86. गोमती यादव, श्री लखनऊ
87. गोरख पासवान, श्री बलिया
88. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
89. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
90. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
91. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
92. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
93. जगपाल, श्री सहारनपुर
94. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
95. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
96. जफर आलम, श्री अलीगढ़
97. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
98. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
99. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
100. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
101. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
102. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
103. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
104. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
105. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्रीबस्ती
106. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
107. तसलीम, श्री बिजनौर
108. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद

109. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
110. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
111. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
112. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
113. दलजीत सिंह, श्री बांदा
114. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
115. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
116. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
117. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
118. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
119. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
120. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
121. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
122. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
123. धर्मराज, श्री बाराबंकी
124. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
125. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
126. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
127. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
128. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
129. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
130. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
131. नारद राय, श्री बलिया
132. नाहिद हसन, श्री शामली
133. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
134. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
135. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
136. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
137. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
138. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
139. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
140. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
141. पीतमराम, श्री पीलीभीत
142. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
143. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
144. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
145. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
146. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
147. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
148. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
149. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
150. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
151. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
152. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
153. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
154. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
155. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
156. ′बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
157. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
158. बदलू खां, श्री उन्नाव
159. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
160. बाबू खां, श्री हरदोई
161. बाबूलाल, श्री गोण्डा
162. बावन सिंह, श्री गोण्डा
163. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
164. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
165. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
166. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
167. बैजनाथ, श्री मऊ
168. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर

169. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
170. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
171. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
172. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
173. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
174. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
175. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
176. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
177. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
178. मनबोध, श्री देवरिया
179. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
180. मनीष रावत, श्री सीतापुर
181. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
182. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
183. महबूब अली, श्री अमरोहा
184. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
185. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
186. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
187. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
188. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
189. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
190. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
191. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
192. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
193. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
194. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
195. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
196. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
197. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
198. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
199. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
200. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
201. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
202. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
203. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
204. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
205. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
206. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
207. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
208. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
209. यासर शाह, श्री बहराइच
210. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
211. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
212. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
213. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
214. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
215. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
216. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
217. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
218. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
219. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
220. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
221. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
222. रवि शर्मा, श्री झांसी
223. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
224. 'राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
225. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
226. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
227. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
228. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
229. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
230. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
231. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
232. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
233. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली

234. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
235. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
236. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
237. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
238. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
239. राधे श्याम, श्री अमेठी
240. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
241. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
242. राम करन आर्य, श्री बस्ती
243. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
244. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
245. राम गोविन्द, श्री बलिया
246. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
247. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
248. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
249. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
250. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
251. राम मगन, श्री बाराबंकी
252. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
253. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
254. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
255. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
256. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
257. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
258. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
259. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
260. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
261. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
262. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
263. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
264. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
265. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
266. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
267. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
268. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
269. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
270. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
271. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
272. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
273. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
274. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
275. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
276. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
277. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
278. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
279. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
280. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
281. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
282. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
283. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
284. विजय सिंह, श्री रामपुर
285. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
286. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
287. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
288. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
289. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
290. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
291. वीरपाल राठी, श्री बागपत
292. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
293. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़

294. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
295. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
296. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
297. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
298. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
299. शाकिर अली, श्री देवरिया
300. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
301. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
302. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
303. 'शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
304. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
305. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
306. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
307. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
308. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
309. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
310. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
311. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
312. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
313. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
314. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
315. संजय कपूर, श्री रामपुर
316. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
317. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
318. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
319. सतवीर सिंह गुर्जर, श्रीगौतमबुद्ध नगर
320. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
321. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
322. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
323. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
324. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
325. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
326. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
327. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
328. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
329. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
330. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
331. सियाराम सागर, डा0 बरेली
332. सीमा, श्रीमती जौनपुर
333. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
334. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
335. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
336. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
337. सुधाकर, श्री मऊ
338. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
339. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
340. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
341. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
342. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
343. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
344. सुरेश राणा, श्री शामली
345. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
346. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
347. सुल्तान बेग, श्री बरेली
348. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
349. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
350. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
351. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर

352. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी	354. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
353. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद	355. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव) तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

ख्11.00, प्रदेश में बिगड़ती कानून–व्यवस्था से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

(सदन के फ्लोर पर खड़े विपक्ष के माननीय सदस्यगण स्लोगन लिखे बैनर दिखाकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

यह सब नियम–56 में आयेगा। आप लोग कूपया अपने स्थान पर जायं।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा स्लोगन लिखे हुए बैनर दिखाये गये)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण आपसे आग्रह है कि अब हो गया। अब आप लोग अपनी अपनी सीटों पर चलिये।

(सदस्यगण सदन के फ्लोर से बैनर दिखाकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, अब आपने बोल लिया और बैनर दिखा लिया। बैनर दिखाते दिखाते आप भी थक गये होंगे। आप लोग अपनी अपनी सीटों पर चलिये और वहां से अपनी बात कहिये। सरोज जी, आप मिनिस्टर रहे हैं चलिये। इन लोगों को ले चलिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (सदन के वेल से)–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरठ में एक बहन बेटी की इज्जत बचाने में एक फौजी वेद मित्र की हत्या शोहदों ने कर दी। इस घटना से मानवता का सिर शर्म से झुका है। सरकार उस फौजी को शहीद का दर्जा दे, उसके परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। महिलाओं के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

चलिये। माननीय सदस्यगण अपने अपने स्थान पर चलिये। मौर्या जी, देखिये। अब आज आप लोग सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। यह विषय नियम–56 में स्वीकार कर लिया है। अब तो बहुत हो गया। इतना प्रदर्शन काफी है। आज पूरा विपक्ष संगठित हैं आप लोग। माननीय बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण, आप अपने–अपने स्थान पर वापस चलें। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर वापस जायं। मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने–अपने स्थान पर जायं। अब आज आप लोग सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। खन्ना जी, अब हो गया। आप लोगों ने टोपी भी लगा लिया, प्रदर्शन भी हो गया, प्रेस ने भी देख लिया। आपको इतना ही चाहिए था बस। अरे हो गया, चलिये।

(सदन में सरकार विरोधी नारे लगाये गये।

अब हो गया। आप लोग अपने स्थान पर जायं। माननीय सदस्य, इतना जोर से चिल्ला रहे हो, बेहोश हो जाओगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

विपक्ष के अनेकों सदस्य सदन के फ्लोर पर बैनर दिखा रहे थे एवं नारे लगा रहे थे।

श्री अध्यक्ष–

आप सभी अपने स्थान पर जाइए।

मैं सदन को बीस मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 03 मिनट पर सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिये स्थगित कर दी)

(11 बजकर 23 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(वेल में पहले से उपस्थित सदस्य पुनः नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने–अपने आसन पर जाएं।

खन्ना साहब आपने क्या वायदा किया था ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना (वेल से)–

सरकार नियमावली का पालन नहीं कर रही है। दो महीने बाद 10 दिन सदन चलाया जाना चाहिए। यह नियमावली में व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष–

आपने कानून व्यवस्था पर सूचना दी है। हमने नियम–56 में उसे सुनने के लिए स्वीकार कर लिया है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से पूरे प्रदेश की कानून–व्यवस्था चरमराई है।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 24 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में अक्षयपात्र संस्था द्वारा मिड–डे–मील योजनान्तर्गत पराग के दूध से बीमार बच्चों की घटना की जांच

''1–श्री राजकुमार रावत, श्री मनीष असीजा, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री रामचन्द्र यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में दिनांक 29 जुलाई, 2015 को अक्षयपात्र संस्था द्वारा मिड–डे–मील योजनान्तर्गत आपूर्ति किये गये पराग के दूध से लगभग 70 बच्चों के बीमार होने की घटना सरकार के संज्ञान में है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटना की जांच के लिये कोई जांच समिति गठित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोबिन्द चौधरी)–

जी हां।

जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को प्रकरण की जांच हेतु नामित किया गया है एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी लखनऊ द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2015 को संस्था द्वारा आपूर्तित भोजन एवं दूध की सैम्पलिंग कर जांच हेतु भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बच्चों के कुपोषण की समस्या के निदान की योजना

'01–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बच्चों में बढ़ रहे कुपोषण को दूर करने हेतु सरकार कोई ठोस कार्य योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

प्रदेश में बच्चों के कुपोषण की समस्या के निदान के लिये राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, बेसिक शिक्षा तथा ग्राम्य विकास की योजनाओं में समन्वय कर कुपोषण को दूर करने हेतु राज्य पोषण मिशन का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में निम्न लक्षित समूह निर्धारित किया गया है :–

1–गर्भवती महिलाएं

2–नवजात शिशु (जन्म से 28 दिन तक)

3–02 वर्ष तक के बच्चे

4–02 से 05 वर्ष तक के बच्चे

5–किशोरी बालिकाएं

गर्भवती महिलाओं के सम्बन्ध में ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दौरान प्रसवपूर्व जांच, अनुपूरक पोषाहार, आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का वितरण, नवजात शिशुओं के लिये माताओं को स्तनपान कराने हेतु परामर्श कम वजन के बच्चों का चिन्हीकरण व उनका संदर्भन का परामर्श, 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दिन शिशु स्वास्थ्य जांच एवं बाल पोषण सेवायें तथा संदर्भ, नियमित टीकाकरण एवं विटामिन–ए का सम्पूरण रतनपान परामर्श, आयोडीन युक्त नमक

का प्रचार–प्रसार एवं किशोरी बालिकाओं को साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड सम्पूरण द्वारा एनीमिया कुपोषण से बचाव आदि कार्य किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

'02–श्री मनीष असीजा–

ख्15वें मंगलवार के तारां0 प्र0 संख्या–01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण हेतु जिला स्टेयरिंग समिति का गठन

'03–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिये कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या इस योजना में महिला संगठनों एवं राजनीतिक दलों के लिये कोई भूमिका निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अरुण कुमारी कोरी)–

जी हां।

प्रदेश की महिलाओ में एक सकारात्मक आत्म छवि, आत्म विश्वास विकसित हो, इस हेतु राज्य सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के सहयोग से उत्तर प्रदेश महिला नीति, 2006 प्रख्यापित की गयी है।

महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत महिलाओं के उत्थान एवं समग्र विकास के प्रति संकल्पित, उ0 प्र0 महिला कल्याण विभाग द्वारा पूर्व से ही पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं से पुनर्विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार, निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान, दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी व आर्थिक सहायता योजना संचालित है।

एसिड व जघन्य अपराध से पीड़िता को सहायतार्थ उ0 प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को उ0 प्र0 रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार, आरम्भ हो चुका है। एक ही छत के नीचे समस्त सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्र 11 जनपदों में स्थापित करने की योजना है।

महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के माध्यम से चलायी जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के जनपद स्तर पर समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये शासनादेश संख्या–82/ 60–3–2015–13 (5)/15, दिनांक 16 जनवरी, 2015 द्वारा जिला स्टेयरिंग समिति का गठन किया गया है, जिसमें जनसामान्य/संगठन से अध्यक्ष द्वारा सदस्य के रूप में नामित किये जाने की भूमिका निर्धारित है।

महिला मुद्दों पर काम करने वाले व्यक्ति व संगठनों के प्रतिनिधि समिति में सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

'04–डा0 धर्मपाल सिंह–

ख्10वें गुरुवार के तारां0 प्र0 संख्या–01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

अतारांकित प्रश्न

भारतेन्दु नाट्य अकादमी में रंग मण्डल प्रबन्धक पद पर फर्जी नियुक्ति की जांच की मांग

01–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतेन्दु नाट्य अकादमी में रंग मण्डल प्रबन्धक पद हेतु अनिवार्य योग्यता के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0–5423/चार–13(2)/84, दिनांक 20 सितम्बर, 1988 के अनुपालन में फर्जी डिप्लोमा लगाकर प्रबन्धक पद पर नियुक्ति की गयी तथा रंग मण्डल प्रबन्धक को सहायक निदेशक (रंग मण्डल) के पद पर दिनांक 06–09–14 को प्रोन्नति प्रदान की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार फर्जी नियुक्ति में लगे नाट्य विधा का फर्जी डिप्लोमा व अन्य शैक्षिक प्रमाण–पत्रों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी–

भारतेन्दु नाट्य अकादमी में रंग मण्डल प्रबन्धक पद पर की गयी नियुक्ति के सम्बन्ध में जांच अधिकारी की नियुक्ति आदेश दिनांक 19 मार्च, 2015 द्वारा श्रीमती अनुराधा गोयल, संयुक्त निदेशक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

02–श्री उमेश पाण्डेय–

ख्पहले शुक्रवार के तारां0 प्र0 संख्या–01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद सहारनपुर के जिला अस्पताल में स्थापित चौ0 चरण सिंह की खण्डित प्रतिमा को पुनः स्थापित किये जाने की मांग

03–श्री वीरपाल राठी–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौ0 चरण सिंह भू0पू0 प्रधान मंत्री की प्रतिमा जो जिला अस्पताल सहारनपुर चौक में स्थापित है, को खण्डित कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी के द्वारा पुनः प्रतिमा स्थापना हेतु पत्रांक–304/एल0बी0सी0, दिनांक 03–09–13 को भेजे गये पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी–

जी हां।

जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्र संख्या–304/एल0बी0सी0, दिनांक 03–09–2013 द्वारा स्व0 चौ0 चरण सिंह भू0पू0 प्रधान मंत्री की पुनः प्रतिमा स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण गृह विभाग में किया गया। तत्समय लोक सभा सामान्य निर्वाचन

2013 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने एवं लोक निर्माण विभाग का अभिमत प्राप्त करने के उपरान्त प्रकरण में जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर की अद्यतन संस्तुति आख्या दिनांक 14 जुलाई, 2015 को प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में लोहिया ग्राम समग्र विकास योजनान्तर्गत गांवों के चयन सम्बन्धी जानकारी

04–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री द्वारा बजट सत्र, 2015 में की गयी घोषणा के अनुरूप वर्ष 2015–16 के लिये सरकार विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के लिये लोहिया ग्राम समग्र विकास योजना के अन्तर्गत गांवों का चयन प्रश्नकर्ता की सलाह से करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

शासनादेश दिनांक 06 अगस्त, 2013 द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्रामों के चयन हेतु शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 2012 के प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर–(4) में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न व्यवस्था की गई है :–

''इस प्रकार प्राप्त तीन गुना संख्या के राजस्व ग्रामों की सूची जिलाधिकारी द्वारा जनपद के मा0 जिला प्रभारी मंत्री जी को चयन हेतु उपलब्ध कराई जाए। इस सूची के आधार पर जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा जनपद के समस्त मा0 सदस्य, विधान सभा एवं मा0 सदस्य, विधान परिषद् से विचार–विमर्श करते हुए वर्षवार ग्रामों का चयन किया जायेगा।''

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा परसौनी में आई0टी0आई0 खोलने विषयक पत्र पर कार्यवाही

05–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज में ग्राम सभा परसौनी में आई0टी0आई0 स्कूल खोलने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0 एम0/वि0 को0/एम0/पी0जी0–10493539/2014, प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उक्त पत्र के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 09–01–2015 द्वारा मा0 सदस्य को अवगत कराया गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा बनायी गयी नीति के अनुसार सर्वप्रथम

प्रदेश की असेवित तहसीलों में तदोपरान्त असेवित विकास खण्डों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जायेगी। तमकुहीराज जनपद कुशीनगर की तहसील–सेवरही के अन्तर्गत है। यह तहसील वर्तमान में सेवित है, जिसके अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवरही पूर्व से स्थापित व संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम सभा जफरपुर में हैण्डपम्प लगवाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

06–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली की मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा जफरपुर, वि0ख0 नियमताबाद में वर्ष (2014–2015) में लोहिया समग्र ग्राम में चयनित किया गया था, उक्त ग्राम सभा में जनहित की मांग पर कुल 8 स्थानों पर हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5–एन–321870, दिनांक 24–8–14 को अधिशासी अभियन्ता जल निगम जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 हेतु चयनित ग्राम जफरपुर विकास खण्ड–नियमताबाद में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में जनंसख्या 2110 है। इसके अनुरूप कुल 22 हैण्डपम्प की आवश्यकता के सापेक्ष कुल 26 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। अतः आबादी के अनुरूप यह ग्राम पूर्णरूपेण संतृप्त है। योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में 100 की जनसंख्या एवं हैण्डपम्प के बीच में न्यूनतम 75 मीटर दूरी के आधार पर एक हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था है। अतएव मा0 सदस्य के उक्त पत्र में अधिष्ठापन हेतु प्रस्तावित कुल 08 नग हैण्डपम्प का स्थलीय सत्यापन कराया गया जो मानक के अनुरूप नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती में बाल गृह का निर्माण कराने की मांग

07–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में बाल मजदूरी से मुक्त कराये गये बच्चों को रखने के लिये सरकार बाल गृह का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी–

जी हां, क्योंकि बाल मजदूरी से अवमुक्त जनपद बस्ती के बच्चों को राजकीय बाल गृह (बालक) गाजीपुर में रखे जाने की व्यवस्था विद्यमान रही है, परन्तु राजकीय बाल गृह बालक गाजीपुर को राजकीय विशेष गृह/बाल सुरक्षा प्रकोष्ठ घोषित किये जाने

के कारण जनपद बस्ती के बच्चों के संरक्षण हेतु राजकीय बाल गृह (बालक) देवरिया से आच्छादित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

08–श्री मनीष असीजा–

ख्ाले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

अन्य प्रदेशों की भांति प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाये जाने की मांग

09–श्री रविन्द्र जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंगनबाड़ी कर्मियों को दिया जाने वाला मानदेय अन्य प्रदेशों की भांति बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाये जाने की स्वीकृति/निर्धारण भारत सरकार के स्तर से होती है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को रुपये 3000/– तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को रुपये 1500/– मानदेय दिया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से आंगनबाड़ी कार्यकत्री को रुपये 200/–एवं आंगनबाड़ी सहायिका को रुपये 100/– प्रतिमाह अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय विभागों, उपक्रमों, निगमों के वर्कचार्ज दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का विनियमितीकरण किये जाने की मांग

10–श्री मुहम्मद गाजी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–2063/दस–54 (एग)/2008 टी0सी0, दिनांक 8 सितम्बर, 2010 के द्वारा प्रदेश के राजकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि में दिनांक 29 जून, 1991 तक नियुक्त/कार्यरत वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 29 जून, 1991 के बाद नियुक्त/कार्यरत वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का जिनकी सेवायें 10 वर्ष से अधिक हो गयी हैं, के विनियमितीकरण किये जाने हेतु भी शासनादेश जारी करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

कानपुर नगर के सनिगवा में सड़क एवं नाली निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

11–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–105/आ0स0/2014–15, दिनांक 08–06–2015 जो विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर, कानपुर नगर के वार्ड सं0–19 सनिगवा में त्वरित आर्थिक विकास योजना अन्तर्गत कतिपय 08 स्थानों पर सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर यथोचित निर्णय लेने हेतु पत्रावली नगर विकास विभाग को प्रेषित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के ब्लाक स्योहरा के मार्गों का निर्माण कराये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

12–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29–04–2015 जो त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नूरपुर, जनपद बिजनौर के ब्लाक स्योहारा के चार मार्ग तथा ब्लाक नूरपुर के छः मार्गों का चयन कर रपटा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

13–श्री सतीश महाना–

ख्ले बुधवार के अता0प्र0सं0–194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अनेकों गांवों में कराये गये निस्तारण कार्यों का विवरण

14–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र 130–बीसलपुर के गांव मीरपुर रतनपुर, पैनिया हिम्मत, हरूनगला उर्फ नौवा नगला, औड़ाझार, बड़ेपुरा मरोरी, राठ, अण्डहा, उमरिया, गोहनिया, बुहिता, मवैया, मानपुर मरौरी, फिरसहा चुरोहा, लिलहर भगवतीपुर, रूरिया घुरिया, नौगवा नबीनगर तथा कबूलपुर को डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया

है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों में किये गये विकास कार्यों का विवरण क्या है और उन्हें कब तक पूर्ण संतृप्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत के विधान क्षेत्र 130 बीसलपुर के निम्नानुसार ग्राम चयनित किये गये हैं :–

वर्ष	चयनित ग्राम
2012–13	मीरपुर रतनपुर, पैनिया हिम्मत, हरूनगला उर्फ नौवा नगला, औडाझार।
2013–14	बड़ेपुरा मरोरी, राठ, अण्डहा, उमरिया, गोहनिया, बुहिता।
2014–15	मवैश, मानपुर मरौरी, फिरसहा चुरोहा, लिलहर।
2015–16	भगवतीपुर, रूरिया घुरिया, नौगवा नवीनगर तथा कबूलपुर।

उक्त ग्रामों में कराये गये विकास कार्यों का विवरण संलग्न[४] है।

प्रश्न नहीं उठता।

लोहिया ग्राम समग्र विकास योजना में सुझाये गये गांवों का चयन विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

15–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2015–16 के लिये प्रश्नकर्ता द्वारा सुझाये गये गांवों का लोहिया ग्राम समग्र विकास योजना में चयन विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5 नं0–710410, दिनांक 15–04–2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्ष 2015–16 के लिये सुझाए गये गांवों का लोहिया ग्राम समग्र विकास योजना में चयन विषयक मा0 सदस्य का पत्र सं0–ख–5–नं0–710410 दिनांक 15–04–2015 प्राप्त नहीं हुआ है वरन् विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के ग्राम नूरपुर, चौकी, कुटवाया एवं जाहिदपुर को योजनान्तर्गत चयन किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य का पत्र संख्या–ख–5–नं0–710440 दिनांक 15–04–2015 प्राप्त हुआ है।

जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा दिनांक 12–03–2015 को जनपद की तीन गुना कट आफ सर्वे सूची में से विचार करते हुए वर्ष 2015–16 हेतु 29 समग्र ग्रामों का

[४] (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ–56–58 पर)

चयन किया जा चुका है, जिसमें ग्राम–नूरपुर, चौकी, कुटवाया एवं जाहिदपुर का चयन इस वर्ष नहीं हो सका है।

उपर्युक्तानुसार।

16–श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्ाले बुधवार के अता0प्र0सं0–192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के लोहिया ग्राम समग्र विकास योजनान्तर्गत गांवों के चयन विषयक पत्र पर कार्यवाही

17–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2015–16 के लिये गांवों का लोहिया ग्राम समग्र विकास योजना के चयन विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5 नं0–710410, दिनांक 15–04–2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्ष 2015–16 के लिये गांवों को लोहिया ग्राम समग्र विकास योजना के चयन विषयक मा0 सदस्य का पत्र सं0–ख–5–नं0–710410 दिनांक 15–04–2015 प्राप्त नहीं हुआ है वरन् विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के ग्राम–नूरपुर, चौकी, कुटवाया एवं जाहिदपुर के योजनान्तर्गत चयन किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य का पत्र संख्या–ख–5–नं0–710440 दिनांक 15–04–2015 प्राप्त हुआ है।

जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा दिनांक 12–03–2015 को जनपद की तीन गुना कट आफ सर्वे सूची में से विचार करते हुए वर्ष 2015–16 हेतु 29 समग्र ग्रामों का चयन किया जा चुका है, जिसमें ग्राम–नूरपुर, चौकी, कुटवाया एवं जाहिदपुर का चयन इस वर्ष नहीं हो सका है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में विधवा महिलाओं को पेंशन सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी जानकारी

18–श्री मनीष असीजा–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान में ऐसी कितनी विधवा महिलायें हैं, जिनके विधवा पेंशन के आवेदन–पत्र पात्रता श्रेणी में स्वीकृत होने के बावजूद बजट अभाव में उनको पेंशन प्राप्त नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार इन सभी पात्रता श्रेणी की विधवा महिलाओं को पेंशन की सुविधा प्रदान करने हेतु बजट में प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी–

जी नहीं।

जनपद फिरोजाबाद में वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के 5927 नवीन आवेदन–पत्र कार्यालय में प्राप्त हुए जिन्हें स्वीकृत कर पी0एफ0एम0एस0 पर अपलोड कर दिया गया है।

प्रदेश में पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में सीधे धनराशि प्रेषित किये जाने की व्यवस्था है। लाभार्थियों का विवरण डाटा सेन्टर पर अपलोड किया जा चुका है। पी0एफ0एम0एस0 से डाटा सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होते ही प्रथम तीन माह की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में अन्तरित की जायेगी। बजट उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ग्राम सभा मधुपुर में हैण्डपम्प लगाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

19–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र ग्राम की सभा मधुपुर, विकास खण्ड–चन्दौली जो वर्ष (2014–15) में समग्र ग्राम लोहिया के अन्तर्गत चयनित हुआ था, में 10 स्थानों पर हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5एन 321883, दिनांक 24–08–14 अधिशासी अभियन्ता जल निगम चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 हेतु चयनित ग्राम–मधुपुर, विकास खण्ड–चन्दौली में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में जनसंख्या 2954 है। इसके अनुरूप कुल 30 हैण्डपम्प की आवश्यकता के सापेक्ष कुल 46 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। अतः आबादी के अनुरूप यह ग्राम पूर्णरूपेण संतृप्त है। योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में 100 की जनसंख्या एवं हैण्डपम्प के बीच में न्यूनतम 75 मीटर दूरी के आधार पर एक हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था है। अतएव मा0 सदस्य के उक्त पत्र में अधिष्ठापन हेतु प्रस्तावित कुल 10 नग हैण्डपम्प का स्थलीय सत्यापन कराया गया। जो मानक के अनुरूप नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

20–श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्ाले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–101 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

21–श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्ाले मंगलवार के अता0प्र0सं0–185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

भारत सरकार द्वारा उ0 प्र0 सरकार को राज्यांश अवमुक्त की गयी धनराशि सम्बन्धी जानकारी

22–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 में राज्यांश कितने प्रतिशत एवं कितनी राशि उ0प्र0 सरकार को अवमुक्त की गयी ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वर्ष 2015–16 में यह राशि बढ़ाई गयी है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्ष 2014–15 में तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का अंश 32 प्रतिशत निर्धारित था, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य की कर हिस्सेदारी 19.677 प्रतिशत तथा सेवाकर में हिस्सेदारी 19.987 प्रतिशत थी। वर्ष 2014–15 बजट के अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश को रु0 75416.62 करोड़ राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त होने थे। किन्तु पुनरक्षित अनुमानों में उत्तर प्रदेश राज्य का कुल अंश रु0 68639.7 करोड़ निर्धारित हुआ जिसमें वर्ष 2013–14 के राज्यांश के अधिक भुगतान की वसूली रु0 2016.83 करोड़ को समायोजित करते हुए रु0 66622.91 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति हुई।

वित्तीय वर्ष 2015–16 से चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू हो गयी हैं, जिसके अन्तर्गत विभाज्य पूल में राज्यों का अंश बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है किन्तु कर राजस्व में उत्तर प्रदेश का अंश घटकर 17.959 प्रतिशत तथा सेवाकर में 18.21 प्रतिशत निर्धारित हुआ है। केन्द्रीय बजट 2015–16 के अनुसार उत्तर प्रदेश को 2015–16 में राज्यांश के अन्तर्गत रु0 94313.46 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राप्त वास्तविक धनराशि की तुलना वर्ष 2015–16 हेतु अनुमानित राज्यांश की धनराशि से किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि वर्ष के अन्त में अन्तरित धनराशि केन्द्र सरकार की वास्तविक प्राप्तियों के अनुसार घट/बढ़ सकती है।

केन्द्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों हेतु अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी

23–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्थानीय निकायों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि क्या 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिये पूर्व में निर्धारित राशि को बढ़ा दिया है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री अखिलेश यादव–

13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्थानीय निकायों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमशः रु0 3,130.90 करोड़ एवं रु0 9,824.08 करोड़ (कुल रु0 12,954.98 करोड़) की धनराशि अवमुक्त की गयी।

जी हां।

14वें वित्त आयोग ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमशः रु0 10,249.21 करोड़ एवं रु0 35,776.56 करोड़ (कुल रु0 46,025.77 करोड़) संस्तुत किया है जो 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अवमुक्त वास्तविक धनराशि से रु0 33,070.79 करोड़ अधिक है।

कानपुर महानगर के ब्लाक सरसौल के ग्राम पूरनपुर में विकास कार्यों में अनियमितता की जांच कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी

24–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के सरसौल ब्लाक क्षेत्रान्तर्गत लोहिया ग्राम पूरनपुर में विकास कार्यों में अनियमितता की जांच हेतु एक दल दिनांक 07–06–2015 को गांव गया था ? यदि हां, तो जांच दल द्वारा जो अधूरे एवं मानकों के विपरीत कार्य पाये गये उसके लिये कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्द्धन में आई0टी0आई0 कालेज के निर्माण में अनियमितता की जांच

25–श्री राजकुमार रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन में राधा कुन्ड क्षेत्र में वर्ष 2011 में स्वीकृत आई0टी0आई0 कालेज के निर्माण में अधोमानक निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, की सरकार जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद–मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के राधा कुण्ड में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन का निर्माण कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 द्वारा किया जा रहा है। संस्था के भवन निर्माण में किसी भी प्रकार की अधोमानक सामग्री के प्रयोग के संबंध में कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों में अधोमानक सामग्री के प्रयोग इत्यादि का उल्लेख नहीं है। अतः निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में प्रधानमन्त्री सड़क रोजगार योजना में स्वीकृत परियोजनाओं को समय से पूर्ण न करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

26–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में पूर्वांचल राज्यांश/प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना में स्वीकृत परियोजनाओं को समय से पूर्ण न कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 05–06–2015 के क्रम में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्रांक पी0जी0–10629860 प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को

प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)–

जी हां। प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच मुख्य अभियन्ता (पूर्वी) की अध्यक्षता में गठित दो सदस्यीय समिति कर रही है।

27–श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्ाले मंगलवार के अता0 प्र0 सं0–186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी एवं कथक केन्द्र के कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु बढ़ाये जाने की मांग

28–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी एवं कथक केन्द्र के कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी–

शासनादेश संख्या–82/3537/चार–2015–56(वि)/2015 दिनांक 29 जुलाई, 2015 द्वारा उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी एवं कथक केन्द्र के कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष अनुमन्य करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में पूर्वांचल विकास निधि के स्वीकृत कार्यों में अनियमितता की जांच विषयक पत्र पर कार्यवाही

29–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत वर्ष 2002–03 में स्वीकृत कार्यों में अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 04–12–2014 को मुख्य मंत्री जी से की गयी शिकायत पर उनके आदेश के क्रम में लोक निर्माण विभाग अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–सी0एम0–67/ 23–06–2014, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को आदेश प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

जी हां। मुख्य अभियन्ता (पूर्वी) द्वारा प्रकरण की जांच कर आख्या निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता को उपलब्ध करायी गयी है।

30–श्री त्रिभुवन राम–

ख्विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त,

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना के आवास आवंटन में धांधली की जांच विषयक पत्र पर कार्यवाही

31–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम सुल्ताना माफी ककरा मोहम्मदपुर, वि0 ख0 विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच में आवास आवंटन में व्यापक स्तर पर धांधली की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/2014–15/क–5नं0–302790/7328, दि0 06–10–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मा0 सदस्य के उक्त पत्र में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 हेतु चयनित ग्राम–सुल्ताना माफी, ककरा मोहम्मदपुर, विकास खण्ड–विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच में आवास आवंटन में व्यापक स्तर पर की गयी धांधली की उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया गया है। पत्र में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवास आवंटन में हुई अनियमितताओं की जांच कराने हेतु ग्राम्य विकास विभाग के पत्र दिनांक 07–11–2014 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद में सड़क निर्माण कार्यों में अनियमितता की जांच कार्यवाही की मांग

32–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 01 जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर, 2014 तक नगर निगम फिरोजाबाद के सीमान्तर्गत त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत कराये गये सड़क निर्माण कार्यों में से अधिकांश अत्यन्त घटिया स्तर की सामग्री प्रयुक्त होने के चलते बुरी तरह टूट–फूट गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर उक्त कार्यों की गहनतापूर्वक जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रश्नगत अवधि में नगर निगम फिरोजाबाद के सीमान्तर्गत त्वरित आर्थिक विकास योजना में 08 मार्गों पर 4.23 किमी0 सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराया गया। उक्त कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में विभागीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों को तत्समय ठीक करा दिया गया था। अग्रतर जिलाधिकारी द्वारा भी कार्यों

की जांच करायी गयी और जांच में पायी गयी कमियों को निर्धारित समय सीमा में ठीक कराने के लिए सम्बन्धित ठेकेदारों को नोटिस जारी की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती की तहसील रुधौली के ग्राम सभा भिटेहरा में नेता सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा लगाये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

33–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ग्राम सभा भितेहरा तहसील रूधौली में ग्रामीणों द्वारा नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 03–07–2015 प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मूर्ति की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी–

जी हां।

जनपद बस्ती के ग्राम सभा भिटेहरा तहसील रुधौली में ग्रामीणों द्वारा नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

34–श्री मनीष असीजा–

ख्2रे सोमवार के तारा0प्र0सं0–01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रुधौली में चयनित ग्राम पंचायतों में योजनाओं से संतृत्प पाये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

35–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम की 36 योजनाओं से संतृप्त किये जाने की कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो सभी योजनाओं में अब तक कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी ? क्या सरकार स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले सम्पूर्ण कार्यो का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 हेतु चयनित समग्र ग्रामों के संतृप्तीकरण हेतु चिन्हित कार्यक्रमों के अन्तर्गत माह जुलाई, 2015 तक रु0 1413.80 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का कार्यक्रमवार विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जिसे मा0 सदस्य किसी भी कार्य दिवस में देख सकते हैं।

उपर्युक्तानुसार।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

ख्12.20 बजे, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष–

अब मद संख्या–3, माननीय मुख्य मंत्री जी, अनुपूरक बजट प्रस्तुत करें। प्रतियां बंटवा दी जायें।

(प्रतियां बांटी गयीं)

(बेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी बेल से नारे लगाने लगे)

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इधर भी प्रतियां बंटवा दें।

ख्12.21 बजे, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17–08–2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 38 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से 16 सूचनाएं स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की– प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त तथा टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग प्रक्रिया आरम्भ न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री सुभाष पासी की– जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर नगर पंचायत (टाउन) स्थित जीर्ण–शीर्ण महिला सामुदायिक केन्द्र एवं डाक्टरों के आवासों का पुनः नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

अरे, सब लोग तो यहीं हो। (बेल में)

तीसरी सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की– उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्वांचल की लगभग 1500 राइस मिलों के हो रहे उत्पीड़न से राहत दिलाने एवं गन्ना मिलों की भांति राहत पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की– जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत पड़ाव चौराहे से पोलाव शहीद मजार होते हुए बहादुरपुर तक की क्षतिग्रस्त पिच रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

पांचवी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की– जनपद पीलीभीत में बीसलपुर–विलसण्डा–गोला मार्ग पर गांव टेहरी के पास स्थिति पुल का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

छठवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की– जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर के 02 मुख्य सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

सातवीं सूचना श्री दिलनवाज खान की– जनपद बुलन्दशहर में ए0पी0एल0 कार्डधारकों को मिलने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

आठवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की– जनपद मथुरा स्थिति गोवर्धन मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

नौंवी सूचना श्री उमेश पाण्डेय की– जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा महाबलपुर से कुरंगा नहर की पटरी होते हुये ग्राम कोरौली तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

दसवीं सूचना श्री रामहेत भारती की– जनपद सीतापुर के ब्लाक परसेंडी के ग्राम कंजा मजरा पगरोई तथा ग्राम कोड़री मजरा सैदापुर तथा ग्राम तोखीपुरवा मजरा पगरोई तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

ग्यारहवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की– जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा और घाघरा नदियों में कटान होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

बारहवीं सूचना श्री सुदेश शर्मा की– जनपद बुलन्दशहर में कृषि योग्य भूमि के आवंटन में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

तेरहवीं सूचना श्री मनीष असीजा की– जनपद फिरोजाबाद में मेडिकल कालेज खोले जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को डी0आर0 भेजे जाने के सम्बन्ध में।

चौदहवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की– जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

पन्द्रहवीं सूचना डा0 अरुण कुमार की– प्रदेश में व्याप्त सम्पत्ति कर में असमानता को दूर किये जाने के सम्बन्ध में और,

सोलहवीं सूचना श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी' की– आवास विकास परिषद, उ0प्र0 द्वारा विकसित कालोनी, विकास नगर स्थित मिनी स्टेडियम की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

शेष जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं, उनमें श्री ममतेश शाक्य, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री मुकेश श्रीवास्तव, श्री उमाशंकर सिंह, श्री विजय कुमार दुबे, श्री अनिल कुमार, श्री ओम कुमार, श्री सतीश महाना, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री मुकुट बिहार वर्मा, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री कुलदीप सिंह सेंगर, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सुरेश बंसल, श्री कृष्ण कुमार ओझा, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया और श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त तथा टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग प्रक्रिया आरम्भ न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

ख्महोदय, अवगत कराना है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित 15 हजार सहायक अध्यापकों की 13 सितम्बर, 2014 से गतिमान भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन समेत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद भी अभी तक काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है। भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी से बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त तथा टी0ई0टी0 उत्तीर्ण करने वालों में भारी जनाक्रोश है।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूं कि सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया की काउंसिलिंग तत्काल संचालित कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।,

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर नगर पंचायत (टाउन) स्थित जीर्ण–शीर्ण महिला सामुदायिक केन्द्र एवं डाक्टरों के आवासों का पुनः नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 374 सैदपुर, जनपद गाजीपुर की एक बहुत बड़ी समस्या है।

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र का सबसे गम्भीर प्रश्न यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में सैदपुर नगर पंचायत (टाउन) पड़ता है। जहां पर महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है जो काफी पुराना हो चला है जो कहीं–कहीं से टूट–टूट कर गिर रहा है। डाक्टरों को रहने के लिए जो आवास बना है वह बिल्कुल जर्जर अवस्था में कभी भी टूट कर गिर सकता है। इसके डर से वहां पर डाक्टर नहीं रहते हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता को व मरीजों में भारी आक्रोश है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि महिला अस्पताल व डाक्टरों का आवास पुनः नवनिर्माण कराने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।,

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्वांचल की लगभग 1500 राइस मिलों के हो रहे उत्पीड़न से राहत दिलाने एवं गन्ना मिलों की भांति राहत पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जयसवाल–

ख्महोदय, उत्तर प्रदेश शासन की धान खरीद योजना की गलत नीतियों के कारण पूर्वांचल के सभी राइस मिलें बन्द हो चुकी हैं एवं मिलर्स सी0एम0आर0 का काफी बकाया हो चुका है। बकाये की वसूली हेतु आर0सी0 तथा एफ0आर0 की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में जबसे सी0एम0आर0 की खरीद शुरू हुयी तबसे 62 प्रतिशत धान से

नोट :–ख, यह अंश पढ़ हुआ माना गया।

चावल की रिकवरी पूर्वांचल में की जा रही है। उसका मुख्य कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा पूर्वांचल के धान की क्वालिटी ज्यादा कमजोर है। इसलिये उत्तर प्रदेश शासन ने 64 प्रतिशत की जगह 62 प्रतिशत रिकवरी लेना सुनिश्चित किया। वर्ष 2007–08 में शासन द्वारा अन्य प्रान्तों एवं भारतीय खाद्य निगम के निर्देश पर चावल की रिकवरी 62 प्रतिशत से बढ़ाकर 67 प्रतिशत कर दिया, तभी से पूर्वांचल का चावल लघु उद्योग समाप्ति की कगार पर है। आदेश के विरोध करने पर शासन ने रिकवरी चेक करने के लिये प्रदेश तथा केन्द्र सरकार द्वारा नामित कर्मचारियों की टीम बनवाकर पूरे पूर्वांचल में टेस्ट हालिंग का कार्य रिकवरी निर्धारित करने के लिये कराया जिसमें पूर्वांचल में पैदा होने वाले धान में चावल की रिकवरी 48 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक पायी गयी। इसके बावजूद भी 67 प्रतिशत की रिकवरी वसूल किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अन्य कारणों से भी राइस मिलर्स को धान कूटने में तमाम नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे धान के क्रय केन्द्रों पर सरकार द्वारा 17 प्रतिशत नमी का धान खरीदकर जबरन मिलों से 14 प्रतिशत नमी का चावल लिया जा रहा है। जबकि धान को सुखाने आदि का खर्च तथा वजन की कमी आदि का भी राइस मिलर्स को नुकसान होता है। इसी प्रकार सी0एम0आर0 का कार्य राज्य सरकार द्वारा शुरू किये जाने पर मिलर्स को 10 प्रति कुन्टल धान की कुटायी दिया जाता रहा है। जबकि लेबर चार्ज, बिजली का खर्च, डीजल, ट्रान्सपोर्ट खर्च आदि में लगातार कई गुना बढ़ोत्तरी हुयी है।

जिस तरह गन्ना मिलों को वर्तमान में काफी नुकसान हो रहा है और उसकी भरपाई केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। उसी क्रम में चावल मिलों को भी उचित अनुदान दिलाये जाने की व्यवस्था किया जाना अति आवश्यक है। वर्ष 2011–12 से ऐसी स्थिति होने के कारण बैंकों द्वारा लिया गया कर्ज और उसका ब्याज दिन–ब दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत से एकाउन्ट एन0पी0ओ0 हो गये। पूर्वांचल के करीब 1500 राइस मिलों के परिवार शासन–प्रशासन व बैंकों के बकाये के कारण आत्मदाह की स्थिति में आ गये हैं। 11 जुलाई, 2014 को बस्ती जनपद के सिंह इण्डस्ट्रीज के प्रोपाइटर श्री आनन्द प्रताप सिंह तथा जनपद गाजीपुर के एक मिलर के यहां वसूली के लिये पहुंचे तहसीलदार तथा एस0डी0एम0 के समक्ष ही मिलर्स का आर्टअटैक से देहान्त हो चुका है। पूर्वांचल की सभी राइस मिलों को राहत दिलाने के क्रम में सभी उत्पीड़क कार्यवाही को रोकने, जारी की गयी आर0सी0 को वापस कराने एवं पूर्वांचल के चावल मिलों को गन्ना मिलों की भांति राहत पैकेज दिलाया जाना अति आवश्यक एवं न्यायपूर्ण है ताकि उद्योग से लगे मजदूर एवं किसान के हितो के साथ–साथ राइस मिलर्स की रक्षा हो सके। प्रकरण जनहित एवं लघु उद्योग से जुड़ा होने के कारण अति महत्वपूर्ण है।

अतः जनहित एवं लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत पड़ाव चौराहे से पोलाव शहीद मजार होते हुए बहादुरपुर तक की क्षतिग्रस्त पिच रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद–चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत पड़ाव चौराहे से पोलाव शहीद मजार होते हुए बहादुरपुर तक पिच रोड अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गयी जिसमें बहुत बड़े–बड़े गड्ढे होने एवं जलभराव होने के कारण आवागमन बाधित रहता है। यह क्षेत्र का प्रमुख मार्ग है, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक दुर्घटनाएं आये दिन होती रहती हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अतिशीघ्र उक्त सड़क निर्माण/मरम्मत की कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद पीलीभीत में बीसलपुर–बिलसण्डा–गोला मार्ग पर गांव टेहरी के पास स्थित पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

ख्महोदय, जनपद पीलीभीत में बीसलपुर–बिलसण्डा–गोला मार्ग पर गांव टेहरी के पास नदी कटना पर ब्रिटिशकाल का एक शकरा सेतु है। इसी सेतु से होकर गोला लखीमपुर तथा पूरनपुर के लिये मार्ग है। पिछले वर्ष नदी ने कटान कर मार्ग एवं सेतु काटने का प्रयास किया। परिणामतः सेतु में दरार भी पड़ गया है। सेतु काफी जीर्ण–शीर्ण एवं क्षतिग्रस्त है। नवीन सेतु बनाये जाने का प्राक्कलन भी लम्बित है।

इसी प्रकार जनपद पीलीभीत में माला नदी पर जनपदीय मार्गों के गांव बुहिता, गांव मकरनपुर रोशन सिंह तथा गांव ढकिया रंजीत के पास 3 लघु सेतुओं एवं नदी दियोहा पर गांव भौरूआं के पास मुख्य बीसलपुर बरेली मार्ग सेतु भी प्रस्तावित है। भडड़िया मोड़ एवं गांव बौनी के पास दो लघु सेतु नदी रपटुआ पर एवं गांव नगरिया फतेहपुर के पास दियोहा नदी पर पान्टन सेतु हेतु भी प्राक्कलन लम्बित है यह सभी सेतु जनहित में नितान्त अपरिहार्य है जिनके अभाव में भारी असुविधाएं हो रही हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त बी0बी0जी0 मार्ग पर गांव भीकमपुर से गांव पसगवां पक्षी विहार तक कनपरा अल्पिका पर मार्ग भी भारी तालाबों के रूप में परिवर्तित हो गया है तथा कनपरा अल्पिका का पानी भी बाधित है। इसलिये मार्ग का निर्माण अपेक्षित है। इसका भी प्राक्कलन लम्बित है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हुए वांछनीय कार्यवाही करने की मांग करता हूं।,

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर के 02 मुख्य सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज गुप्ता–

नोट :–ख , यह अंश पढ़ हुआ माना गया।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ हुआ माना गया।

ख्महोदय, सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा उन्नाव सदर में मुख्य रूप से विकास खण्ड सरोसी को जोड़ने वाले निम्नलिखित दो प्रमुख मार्ग जोकि पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हैं। इन मार्गों के निर्माण हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार लोक निर्माण के अधिकारियों से पत्राचार एवं व्यक्तिगत रूप से मिलकर अनुरोध किया गया है। परन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं हो पायी है जिससे आम जनमानस प्रभावित हो रहा है।

अस्तु आपसे अनुरोध है कि जनहित के दृष्टिगत निम्न दो मार्गों का निर्माण अतिशीघ्र कराने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें। यह भी अवगत कराना है कि इन दोनों मार्गों का आगणन मात्र 1.50 करोड़ से भी कम है।

1–करोवन मोड़ से सरोसी होते हुए परियर सम्पर्क मार्ग, (विकास खण्ड सरोसी)

2–ग्राम थाना से ग्राम परमनी सम्पर्क मार्ग (विकास खण्ड सरोसी)

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त दोनों मार्गों का निर्माण तत्काल कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बुलन्दशहर में ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को मिलने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिलनवाज खान–

ख्महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद बुलन्दशहर में खुले आम ए0पी0एल0 कार्डों पर ग्रामीण व नगरीय जनता को मिलने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी जिलापूर्ति अधिकारी के सानिध्य में हो रही है क्योंकि आज तक जिला पूर्ति कार्यालय या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी राशन सम्बन्धी सामग्री का प्रचार–प्रसार नहीं किया जाता है खेद का विषय है कि समस्त जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी को होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती क्योंकि इस खेल में अधिकारी सम्मिलित रहते हैं जनपद स्तर पर किसी जनप्रतिनिधि आदि को कोई सूचना या अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता कि जनपद बुलन्दशहर के कितने खाद्यान्न का वितरण प्रतिमाह किया जाता है तथा कितना लक्ष्य जनपद को ए0पी0एल0 व बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय कार्ड धारकों का जनपद को मिलता है। इस वितरण सम्बन्धी कभी भी किसी जनप्रतिनिधि को किसी बैठक आदि में शामिल किया नहीं जाता है चूंकि यह प्रकरण समस्त जनता के हितों से सम्बन्धित है और लोक महत्व का है इसलिये इस विषय पर उच्च स्तरीय जांच की जानी अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग मैं सरकार से करता हूं।,

जनपद मथुरा स्थित गोवर्धन मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर–

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्महोदय, जनहित के अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए अवगत कराना है कि मथुरा जनपद के मथुरा से गोवर्धन जाने वाला मार्ग, लम्बाई लगभग 20 कि0मी0 को 04 लेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा बी0एम0एस0डी0बी0सी0 निर्माण, मध्य में डिवाइडर एवं दोनों किनारों पर आवश्यकतानुसार नालियों का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। यह कार्य मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं में भी सम्मिलित है, किन्तु उक्त सड़क निर्माण में कटने वाले पेड़ों के नाम पर इसे रोका जा रहा है। वर्तमान में इस सड़क की हालत जीर्ण–शीर्ण हो गयी है। सड़क कई स्थानों पर टूटी हुई है तथा उसमें बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं। मथुरा से गोवर्द्धन जाने वाला यह मुख्य मार्ग है, जिस पर श्रद्धालुओं, पर्यटकों तथा स्थानीय निवासियों का निरन्तर आवागमन बना रहता है। प्रतिदिन इस सड़क से हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। पुरानी तथा संकरी सड़क होने के कारण आये दिन इस पर दुघटनाएं होती हैं तथा जाम लगता है। इसलिये जनहित में मथुरा से गोवर्द्धन जाने वाली उक्त पुरानी सड़क, लम्बाई लगभग 20.00 कि0मी0 को 04 लेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण करते हुए मध्य में डिवाइडर बनाने एवं बी0एम0एस0डी0बी0सी0 निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। यदि पूरी सड़क बनाना सम्भव न हो तो पहले मथुरा से गोर्द्धन मार्ग के प्रथम 05.00 कि0मी0 सड़क का चौड़ीकरण करते हुए 04 लेन बी0एम0एस0डी0बी0सी0 निर्माण, डिवाइडर तथा आवश्यकतानुसार नाली का निर्माण कराया जाय।

अतः जनहित के इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा महाबलपुर से कुरंगा नहर की पटरी होते हुए ग्राम कोरौली तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद–मऊ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड–दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा महाबलपुर से कुरंगा नहर की पटरी होते हुए ग्राम कोरौली तक की सड़क (लम्बाई लगभग 3.0 कि0मी0) अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, उक्त सड़क पर कई जगह पर बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं। वर्षा के दिनों में क्षतिग्रस्त सड़क पर पैदल चलना भी अत्यधिक कठिन हो जाता है। उस क्षतिग्रस्त सड़क पर हजारों ग्रामवासियों एवं वाहनों का आवागमन होता है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों के साथ आये दिन मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं और राहगीर गभीर रूप से घायल हो रहे हैं, क्षेत्रीय जनता द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क की निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु सरकार द्वारा अभी तक क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से जनहित में मधुबन के विकास खण्ड–दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा महाबलपुर से कुरंगा नहर की पटरी होते हुए ग्राम कोरौली तक की सड़क (लम्बाई लगभग 3.0 कि0मी0) की अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण सड़क की निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सीतापुर के ब्लाक परसेंडी के ग्राम कंजा मजरा पगरोई तथा ग्राम कोड़री मजरा सैदापुर तथा ग्राम तोखीपुरवा मजरा पगरोई तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती–

ख्मान्यवर, कृपया आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एवं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला–सीतापुर के हमारे निर्वाचन क्षेत्र 147 हरगांव के ब्लाक–परसेंडी के ग्राम कंजा मजरा पगरोई तथा कोड़री मजरा सैदापुर तथा ग्राम तोखीपुरवा मजरा पगरोई का कोई रास्ता नहीं है। ग्राम कंजा, तोखीपुरवा तथा ग्राम कोड़री में पिछड़ी व दलित समाज के लोग रहते हैं। इन गांवों के कच्चे रास्ते हैं। जिस कारण गांव के लोगों को आने–जाने में काफी असुविधा होती है, बरसात के महीनों में तो आना–जाना बेहद कठिन हो जाता है, रास्ते में बड़े–बड़े गड्ढे हो जाते हैं। जिससे हमेशा सड़क दुर्घटनायें होने की सम्भावना बनी रहती है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से जनहित में जिला–सीतापुर के हरगांव के ब्लाक–परसेंडी के अन्तर्गत ग्राम कंजा मजरा पगरोई तथा ग्राम कोड़री मजरा सैदापुर तथा ग्राम तोखीपुरवा मजरा पगरोई तक सड़क निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा और घाघरा नदियों की कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया के गंगा और घाघरा नदी के भीषण कटान से प्रभावित होकर ग्राम पंचायतों में बसे विन्द, मल्लाह, केवट, तुरहा, साहनी, निषाद आदि जातियां बाढ़ से तबाह होकर या तो बन्धे पर या किसी तरह से झोपड़ी इत्यादि लगा कर अपना जीवन यापन कर रही है न तो इन लोगों के पास किसी तरह की सरकारी नौकरियां हैं, न इन लोगों के पास अपनी जमीन है और न ही रहने के लिये मकान है। इन लोगों को किसी भी प्रकार की सुविधा भी नहीं मिल रही है। निम्नलिखित गांवों प्रबोद्धपुर (बेलहरी) शुक्लछपरा, गायघाट, मझाआं, रामगढ़, पचुरुखिया, रिकनी छपरा, दूबेछपरा, गोपालपुर उदई छपरा, जगदेवा पाण्डेपुर, नौरंगा, भुआलछपरा, चांदपुर, बहुआरा, मुरार पट्टी, शिवपुर कपूरदियर, गड़रिया, सेमरिया, जयप्रकाश नगर, अठगांवा, इब्राहिमाबाद, नौबरार आदि गांवों के लोगों के पास न तो मकान हैं और न ही

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खेती है इन लोगों को बसाने व आवास आदि की सुविधा दिये जाने हेतु विशेष पैकेज दिये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बुलन्दशहर में कृषि योग्य भूमि के आवंटन में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुदेश शर्मा–

ख्मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि गांव मुढ़ी बकापुर तहसील बुलन्दशहर में सरकार के आदेशों की अवहेलना की जा रही है ग्राम सभा की मीटिंग के आधार पर कृषि योग्य भूमि के आवंटन का प्रस्ताव पारित विगत 07–07–2014 को नायब तहसीलदार की उपस्थिति में किया गया था जिसमें 83 लाभार्थियों की सूची बनाकर तहसील को अग्रसारित की गई थी जिस पर राजस्व निरीक्षक महावीर सिंह व नायब तहसीलदार सुधीर कुमार के द्वारा जांच करा ली तथा आधे से अधिक लाभार्थियों को पात्र मानकर अपनी संस्तुति पत्रावली पर अंकित कर दी थी लेकिन तहसीलदार रतन वर्मा व उप जिलाधिकारी श्री लालता प्रसाद शाक्य महोदय ने भू–माफियाओं, दबंगों से सांठ–गांठ करके पांच माह पत्रावली को लम्बित रख दिनांक 18–03–2015 को कार्यालय में बैठकर एक साथ ही अपनी रिपोर्ट आख्या लगाकर पत्रावली भू–माफियाओं के दबाव में निरस्त कर दिया जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। क्योंकि दोनों अधिकारी दबंगों व भू–माफियाओं से सांठ–गांठ किये हुए हैं और पात्र लोगों को भूमि आवंटन नहीं करना चाहते थे। जबकि शासन की प्राथमिकता के आधार पर पात्र गरीब व भूमिहीन नागरिकों को भू–आवंटन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर जनहित में तत्काल पर उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद फिरोजाबाद में मेडिकल कालेज खोले जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को डी0पी0आर0 तैयार कर भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा–

ख्महोदय, नगर फिरोजाबाद में केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे जिले जिनमें सरकारी अथवा निजी क्षेत्र का मेडिकल कालेज नहीं है उन जिलों के लिये ''इस्टेबलिशमेंट आफ न्यू मेडिकल कालेजेस अटैच्ड विद एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल'' योजना में फिरोजाबाद के जिला अस्पताल को सम्मिलित कर लिया गया है।

उक्त परियोजना की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा लागत रु0 189.00 करोड़ अनुमानित की गयी है। योजना का फडिंग पेटर्न 75.25 है। इस प्रकार मेडिकल कालेज अनुमानित धनराशि रु0 189.00 के सापेक्ष 75 प्रतिशत केंदांश की धनराशि रु0

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

141.75 करोड़ केन्द्र द्वारा राज्यांश की धनराशि रुपया 47.25 करोड़ राज्य द्वारा वहन की जायेगी।

योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि वहन करने हेतु भारत सरकार को एम0ओ0यू0 की प्रति प्रेषित कर दी गयी है। मेडिकल कालेज की भूमि हेतु दिनांक 18–06–15 को जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है।

परन्तु योजना को लागू करने के लिये केन्द्र सरकार को नियमानुसार अपेक्षित महत्वपूर्ण बिन्दु परियोजना की डी0पी0आर0 प्राप्त न होने के चलते मेडिकल कालेज की स्थापना अभी महज कागजों में ही रुकी पड़ी है।

फिरोजाबाद में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को डी0पी0आर0 भेजने की महती आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद फिरोजाबाद में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु शीघ्रातिशीघ्र डी0पी0आर0 तैयार कर योजना को आरम्भ कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव–

ख्महोदय, जनपद फिरोजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत हुई ओलावृष्टि, अतिवृष्टि व आंधी–तूफान से विगत रबी के फसल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी थी। क्षतिग्रस्त का मूल्यांकन स्थानीय तहसील के अधिकारियों द्वारा कराया गया जहां पर 60–70 रु0 का चेक वितरण किया गया। मेरे विरोध पर आनन–फानन में चेक वापस लेकर पुनः 1500/–के चेक वितरित किये गये। शासनादेश के अनुसार दैवीय आपदा की बढ़ी दरों के हिसाब से 100 एअर के ऊपर के किसानों को राहत राशि का वितरण नहीं किया गया जबकि दो हेक्टेयर के किसानों को राहत राशि का वितरण करने का शासनादेश है। तहसील क्षेत्र के 78 गांव ऐसे शेष बचे हैं जिनमें कृषि निवेश अनुदान वितरित ही नहीं किया गया। इस प्रकार रबी के फसल का उचित मुआवजा न मिलने के कारण तहसील के किसानों में भयंकर आक्रोश है दूसरी तरफ सरकार कम वर्षा के चलते किसानों की खरीफ की फसल का 40 प्रतिशत से अधिक नुकसान हो गया है। पूरे क्षेत्र में सूखे का भी भयंकर प्रभाव पड़ने लगा है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।,

प्रदेश में व्याप्त सम्पत्ति कर में असमानता को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार–

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्पत्ति कर के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रदेश में सम्पत्ति कर की असमानता की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

सम्पत्ति कर के निर्धारण हेतु उ0 प्र0 की विभिन्न नगर निगमों द्वारा प्रति वर्ग फुट किराये की दर के निर्धारण के नियम पूरे प्रदेश में समान हैं फिर भी बरेली नगर निगम एवं कानपुर नगर निगम में बहुत अन्तर है। जिसकी वजह से बरेली में आवासीय एवं अनावासीय भवन कर कानपुर से दो गुना ज्यादा देना पड़ता है। जिससे आम जनता में रोष है। अतः जनहित में कानपुर की भांति ही बरेली में भी आवासीय एवं अनावासीय भवनों के प्रति वर्ग फुट किराये की दर निर्धारित किया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कर निर्धारण की विसंगति को दूर करते हुए कानपुर नगर निगम की भांति बरेली में भी कर निर्धारित किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

आवास विकास परिषद् उ0प्र0 द्वारा विकसित कालोनी, विकास नगर स्थित मिनी स्टेडियम की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''–

ख्महोदय, आवास विकास परिषद्, उ0 प्र0 द्वारा विकसित कालोनी विकास नगर में स्थित मिनी स्टेडियम काफी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, उसकी बाउण्ड्रीवाल कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है और खेलकूद की कोई सामग्री, कोई व्यवस्था मिनी स्टेडियम में नहीं है। क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल के कारण आवारा जानवर स्टेडियम में घूमते रहते हैं अनेक लोग अपने वाहन खड़े करते हैं।

विकास नगर लखनऊ में एक बड़ी कालोनी है और उसके आस–पास के इलाकों महानगर कालोनी, शेखूपुरा कालोनी, कल्याणपुर और शंकरपुरवा आदि बहुत बड़े–बड़े क्षेत्र के मध्य खेलकूद के लिये उक्त मिनी स्टेडियम एक मात्र स्थान है। किन्तु उसकी जीर्ण–शीर्ण अवस्था और क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल और भवन के कारण लखनऊ शहर के एक बहुत घनी आबादी वाले बहुत बड़े भाग में बच्चे और युवा खेलकूद गतिविधियों से वंचित हैं।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवास विकास उ0 प्र0 द्वारा विकसित कालोनी विकास नगर में स्थित मिनी स्टेडियम में खेलकूद हेतु सभी उचित कार्यों एवं निर्माण की मांग करता हूं।,

ख्ा2.23, औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17 अगस्त, 2015 को नियम–300 के अन्तर्गत 05 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। इसमें पहली सूचना श्री सतीश महाना की है, यह अस्वीकार है। दूसरी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की है, इसको सुना जायेगा, लेकिन वह यहां खड़े (वेल में) हैं। तीसरी सूचना श्री अगयश राम शरन वर्मा की, चौथी सूचना श्री प्रदीप माथुर की और पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है, ये सूचनाएं नहीं सुनी जायेंगी।

ख12.24, उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–03 सन्, 2015)[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–03 सन्, 2015) को सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर)[४४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद–151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र–गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)४४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र–गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद–151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)४४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद–151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–7–2005 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)४४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–7–2005 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

[४] छापा नहीं गया।

[४४] छापे नहीं गये।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–4–2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)४४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–04–2009 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

''उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015''४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संसदीय कार्य अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–760/ सं–1–2015–125–सं–2007, दिनांक 14 जुलाई, 2015 द्वारा प्रकाशित ''उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015'' को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा–23–क– की उप धारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) पच्चीसवां संशोधन नियमावली 2015४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संसदीय कार्य अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–827/सं–1–2015–52सं–2013, दिनांक 06 अगस्त, 2015 द्वारा प्रकाशित ''उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2015'' को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–04–2014 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)४४

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप')–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–04–2014 (उप लो0आ0) को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का उत्तर

---

४ छापी नहीं गयी।

४४ छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, दिनांक 18 फरवरी, 2015 को राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के संबंध में राज्यपाल महोदय के उत्तर को मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–19 (8) के अंतर्गत पढ़कर सुना देता हूं–नत्थी (ग)

राम नाईक,
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

राज भवन
लखनऊ–226027
दिनांक–17 अप्रैल, 2015

माननीय अध्यक्ष जी,

दिनांक 14 मार्च, 2015 को आपने राजभवन आकर उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2015 को माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर पारित धन्यवाद प्रस्ताव मुझे व्यक्तिगत रूप से हस्तगत कराया है। आपको इस सद्भावना के लिए धन्यवाद देता हूं।

सस्नेह,

भवदीय,
राम
नाईक

श्री माता प्रसाद पाण्डेय,
माननीय अध्यक्ष,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

र्ध्व12.28, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 24 मार्च, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 27 मार्च, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 27 मार्च, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 27 मार्च, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 27 मार्च, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा

दिनांक 25 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 27 मार्च, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 27 मार्च, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 27 मार्च, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 27 मार्च, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 27 मार्च, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 27 मार्च, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।,

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 मार्च, 2015 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 27 मार्च, 2015 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 मार्च, 2015 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2015 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल दल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 मार्च, 2015 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 27 मार्च, 2015 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 मार्च, 2015 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2015 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 मार्च, 2015 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 मार्च, 2015 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2015 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 मार्च, 2015 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 मार्च, 2015 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2015 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 मार्च, 2015 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 मार्च, 2015 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 06 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2015 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 मार्च, 2015 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 मार्च, 2015 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 जून, 2015 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2015 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–16 इसमें कुछ नहीं हैं। अब मद संख्या–17

ख्ा2.32, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2013–2014) का आठवां प्रतिवेदन

श्रीमती आशा किशोर–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2013–2014), उक्त समिति का आठवां, प्रतिवेदन, जो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं एवं बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज की समीक्षा पर आधारित है, प्रस्तुत करती हूं।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का नवम् प्रतिवेदन[४]

श्री अजय कपूर–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की उक्त समिति (2015–2016) का नवम् प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2005–2006) में उल्लिखित खेल–कूद विभाग के अधीन क्रमशः गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज सोसाइटीज, लखनऊ तथा उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेज सोसाइटीज, लखनऊ से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का दशम् प्रतिवेदन४

श्री अजय कपूर–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की उक्त समिति (2015–2016) का दशम् प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2008–2009) में उल्लिखित प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का ग्यारहवां प्रतिवेदन४

श्री अजय कपूर–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की उक्त समिति (2015–2016) का ग्यारहवां प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2003–2004) में उल्लिखित चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अधीन क्रमशः उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ तथा उ0प्र0 गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि, लखनऊ से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का बारहवां प्रतिवेदन४

श्री अजय कपूर–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की

---

४ छापा नहीं गया।

उक्त समिति (2015–2016) का बारहवां प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2005–2006) में उल्लिखित कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग के अधीन क्रमशः इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय नैनी, इलाहाबाद) एवं चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

ख12.35, कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–22 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–23–कार्य–मंत्रणा

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2015 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 14 अगस्त, 2015 से 21 अगस्त, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैंः–

1–दिनांक 14 अगस्त, 2015 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जाय तथा प्रश्नकाल एवं अन्य कोई कार्य न हो।

2–सदन के दिनांक 14 अगस्त से 21 अगस्त, 2015 तक के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जायः–

अगस्त, 2015

14 शुक्रवार	निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।
15 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
16 रविवार	
17 सोमवार	**1–12.20 बजे अपराह्न** वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण। 2–औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो। 3–विधायी कार्य।
18 मंगलवार	1–वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। 2–विधायी कार्य।

19 बुधवार	विधायी कार्य।
20 गुरुवार	
21 शुक्रवार	असरकारी दिवस (आधा दिन + आधा दिन दिनांक 14 अगस्त, 2015 के स्थान पर) ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया और प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

ख12.37, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015[४]

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–24 में कुछ नहीं है। मद संख्या–25

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2015४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

४ छापा नहीं गया।

ख12.39, सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के निरसन पर उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में सहमति

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :–

चूंकि, भारत का संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बन्धुता उल्लिखित की गई है,

और चूंकि, भारत का संविधान का अनुच्छेद–47 में जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व से सम्बन्धित है और देश के शासन के मूलभूत सिद्धान्तों को परिभाषित करता है, यह व्यवस्था है कि राज्य, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा,

और चूंकि, सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा प्रदेश के कई हिस्सों में अभी तक व्याप्त है,

और चूंकि, केन्द्र सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'' का प्राख्यापन किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित माडल अधिनियम दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 से स्वतः ही प्रभावी हो गये हैं,

और चूंकि, भारत का संविधान के अनुच्छेद–252 के खण्ड–1 में यह व्यवस्था है कि यदि किन्हीं दो या अधिक राज्यों के विधान मण्डलों को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उन विषयों में से जिनके सम्बन्ध में संसद को अनुच्छेद–249 और अनुच्छेद–250 में यथा उपबन्धित के सिवाय राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद विधि द्वारा करें और यदि उन राज्यों के विधान मण्डलों के सभी सदन उस आशय के संकल्प पारित करते हैं तो उस विषय का तद्नुसार विनियिमन करने के लिये कोई अधिनियम पारित करना संसद के लिये विधिपूर्ण होगा और इस प्रकार पारित अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा, जो तत्पश्चात् अपने विधान मण्डल के सदन द्वारा या जहां दो सदन हैं वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार कर लेता है,

और चूंकि, संसद द्वारा राज्यों के लिये उनकी सहमति से तथा उन राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद–252 के खण्ड(1) के अन्तर्गत पारित प्रस्ताव के अनुसरण में संसद द्वारा ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'' का प्राख्यापन किया गया है, जिसके सन्दर्भ में ''सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993'' को समाप्त किया जाना है,

और चूंकि, यह वांछनीय है कि संसद द्वारा बनाई गई उक्त विधि को उ0प्र0 में लागू किया जा चुका है,

अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद–252 के खण्ड(2) के अनुसरण में यह सदन संसद द्वारा पारित ''सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध)

अधिनियम, 1993'' के निरसन पर उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष–

यह संविधान संशोधन का प्रकरण है, पार्लियामेन्ट से आया है इस पर तो शान्त रहिये।

(सदन के वेल में आये हुए सदस्य अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि चूंकि, भारत का संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बन्धुता उल्लिखित की गयी है,

और चूंकि भारत का संविधान का अनुच्छेद–47 में जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व से सम्बन्धित है और देश के शासन के मूलभूत सिद्धान्तों को परिभाषित करता है, यह व्यवस्था है कि राज्य, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा,

और चूंकि, सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा प्रदेश के कई हिस्सों में अभी तक व्याप्त है,

और चूंकि, केन्द्र सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'' का प्राख्यापन किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित माडल अधिनियम दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 से स्वतः ही प्रभावी हो गये हैं,

और चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद–252 के खण्ड–1 में यह व्यवस्था है कि यदि किन्हीं दो या अधिक राज्यों के विधान मण्डलों को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उन विषयों में से जिनके सम्बन्ध में संसद को अनुच्छेद–249 और अनुच्छेद–250 में यथा उपबन्धित के सिवाय राज्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद विधि द्वारा करें और यदि उन राज्यों के विधान मण्डलों के सभी सदन उस आशय के संकल्प पारित करते हैं तो उस विषय का तद्नुसार विनियमन करने के लिए कोई अधिनियम पारित करना संसद के लिए विधिपूर्ण होगा और इस प्रकार पारित अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा, जो तत्पश्चात् अपने विधान मण्डल के सदन द्वारा या जहां दो सदन हैं वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार कर लेता है,

और चूंकि संसद द्वारा राज्यों के लिए उनकी सहमति से तथा उन राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद–252 के खण्ड (1) के अन्तर्गत पारित प्रस्ताव के अनुसरण में संसद द्वारा ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'' का प्राख्यापन किया गया है, जिसके सन्दर्भ में ''सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993'' को समाप्त किया जाना है,

और चूंकि, यह वांछनीय है कि संसद द्वारा बनाई गयी उक्त विधि को उत्तर प्रदेश में लागू किया जा चुका है,

अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद–252 के खण्ड(2) के अनुसरण में यह सदन संसद द्वारा पारित ''सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993'' के निरसन पर उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में सहमति प्रकट करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख12.45, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

बाजपेयी जी आप नियम–56 पर कुछ बोलेंगे मै इसको पढ़ देता हूं।

आज दिनांक 17–08–2015 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

बाजपेयी जी ने नियम–311 में फौजी के मारे जाने की सूचना दी थी, उसको मैंने नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्या, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री मो0 इकबाल, श्री अली यूसुफ अली, श्री उमेश पाण्डेय, श्री रामहेत भारती, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री दीपक पटेल, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री रमेश चन्द्र बिन्द, श्री मुसर्रत अली बिट्टन, श्री मो0 गाजी, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री लोकेश दीक्षित, श्री देवनारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री ओम कुमार, श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री अयोध्या प्रसाद, श्री राजेन्द्र, श्री सिनोद कुमार शाक्य, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री रामचन्द्र यादव, श्री मनीष असीजा, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री सुरेश राणा, श्री प्रदीप माथुर, श्री विवेक कुमार सिंह, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री संजय कपूर, श्री गजराज सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री दलजीत सिंह, श्री विजय कुमार दुबे, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्रीमती उमाकान्ती, श्री संजय प्रताप जयसवाल, श्री राधेश्याम, श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना', ठा0 दलवीर सिंह, श्री वीरपाल राठी, श्री भगवती प्रसाद, श्री पूरन प्रकाश, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री योगेन्द्र उपाध्याय, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री गुटियारी लाल दुबेश की प्रदेश के बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आप लोग इस पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं ?

(सदन के वेल में आये हुए सदस्य नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

बाजपेयी जी आप बहुत सीनियर नेता हैं, नियम–56 में आपका भी है। आपकी पार्टी के लोगों ने भी दिया है। आप अपने आसन पर चलिये। आप बोल लीजिये नहीं तो कल फिर आप इसके लिए समय लेंगे, अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिये, नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं आगे की सूचना ले रहा हूं।

दूसरी सूचना श्री कालीचरन सुमन की आगरा में दिनांक 4–8–2015 की मध्यरात्रि में ग्राम मगटई थाना जगदीशपुरा में पुलिस द्वारा बेरहमी से घरों में घुसकर प्रताड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, तीसरी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद बहराइच द्वारा जीवन रक्षक दवायें न खरीद कर अन्य सामग्री खरीदने में हुये धन के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

इस पर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे।

(किसी सदस्य द्वारा न बोलने पर)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गयीं :–

1–श्री उमा शंकर

2–श्री दीपक पटेल

3–(1) श्री धर्मपाल सिंह

(2) श्री सुदेश शर्मा

श्री त्रिलोकी राम

4–(1) डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी

(2) श्री सतीश महाना

5–डा0 अरूण कुमार

6–श्री सलिल विश्नोई

7–श्री बब्बन सिंह चौहान

8–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल

श्री श्यामदेव राय चौधरी

श्री संगीत सिंह सोम

9–श्री राज नरायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज

10–श्री अवस्थी बाला प्रसाद

11–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया

श्री रोशन लाल वर्मा

डा0 रमेश चन्द्र बिन्द

श्री रामहेत भारती

श्री बृजेश

12–श्री रामवीर उपाध्याय

13–श्री संत प्रसाद

14–श्री मुकुट बिहारी वर्मा

15–श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू

16–श्री मनीष असीजा

17–श्री सिनोद कुमार शाक्य

18–श्री रामचन्द्र यादव

19–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया

20–श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत

21–श्री अगयश राम सरन वर्मा।

आप लोग कुछ भाषण करना चाहेंगे।

(सदन के वेल में आये हुए सदस्य नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस तरह से सारे के सारे गुण्डे, माफिया, अपराधी तत्व कानून की धज्जियां उड़ा करके पूरे प्रदेश को ख ग ग ग , की आग में झोंक देना चाहते हैं। (व्यवधान)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं यह सही नहीं है ख ग ग ग , और आज सदन में कार्यवाही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर यह क्या ख ग ग ग , करते होंगे। इस सदन के अन्दर जब इनकी ख ग ग ग , का यह आलम है तो बाहर जनता के साथ क्या करते होंगे। ख ग ग ग , इन्होंने, बहुत प्रदेश की गरीब जनता को लूटा है मान्यवर, अभी इनके ख ग ग ग , का हिसाब नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, ख ग ग ग , इन्होंने बहुत अपमान किया है इनकी इससे ज्यादा सजा होनी चाहिए। यह जितने यहां है सदन में यह घटकर जब तक 3–4 नहीं रह जायेंगे तब तक यह नहीं साबित होगा कि ख ग ग ग ,

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 17–8–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 50 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसड़ा में कोई महिला चिकित्सक, सर्जन एवं फिजीशियन न होने से रोगियों के इलाज न हो पाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की जनपद आगरा में इनर रिंग रोड एवं थीम पार्क हेतु किये गये भूमि अधिग्रहण में प्रभावित किसानों को अभी तक रु0 2,76,000 प्रति एकड़ एनुटी का भुगतान नहीं किये जाने के

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व गांव को पृथक करके जनपद पीलीभीत से सम्बद्ध करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की जनपद हाथरस की सिकन्दराराऊ में जनसोई माइनर में पानी न छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवीं सूचना श्री दिलनवाज खान की जनपद बुलन्दशहर स्थित अनामिका (अगौता) शुगर मिल को जबरन अभिलेखों में दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, छठी सूचना श्री जय प्रताप सिंह जनपद सिद्धार्थ नगर के नगरपालिका परिषद बासी में शासन द्वारा स्वीकृत कार्यो हेतु जारी धनराशि से घटिया सामग्री का प्रयोग करने के कारण ध्वस्त हो रहे निर्माण कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, सातवीं सूचना श्री सतीश महाना की नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की धनराशि कम करने से महानगरों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना श्री अनीसुर्रहमान की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ ब्लाक छजलैर को डार्क जोन घोषित करने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, नवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की जनपद वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष नाला/नालियों की सफाई कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, दसवीं सूचना श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती में तैनात जिला पंचायत राज अधिकारी के भ्रष्टाचारों की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

1–श्री अमरपाल शर्मा

2–श्री मनीष असीजा

3–श्री सुरेश कुमार खन्ना

4–श्री सुल्तान बेग

5–श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'

6–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप

7–श्री अवस्थी बाला प्रसाद

8–श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज

9–श्री रामहेत भारती

10–श्री जगपाल

11–श्री राम चन्द्र यादव

12–श्री रविदास मेहरोत्रा

13–श्री मुसर्रत अली बिट्टन

14–श्री जय प्रकाश अंचल
15–श्री सिनोद कुमार शाक्य
16–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
17–श्री दलवीर सिंह
18–श्री भीम प्रसाद सोनकर
19–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
20–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल
21–श्री ममतेश शाक्य
22–श्री भगवान सिंह कुशवाहा
23–श्री पूर्णमासी देहाती
24–श्री विजय कुमार दुबे
25–डा0 अरूण कुमार
26–श्री अनिल कुमार
27–श्री सुरेश बंसल
28–श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत
29–श्री रोशन लाल वर्मा
30–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया
31–श्री उमेश पाण्डेय
32–श्री अयोध्या प्रसाद पाल
33–श्री जगन प्रसाद गर्ग
34–श्री धर्मपाल सिंह
35–श्री कृष्ण कुमार ओझा
36–श्री संजय प्रताप जयसवाल
37–श्री प्रदीप माथुर
38–श्रीमती माधुरी वर्मा
39–श्री बब्बन सिंह चौहान
40–श्री बृजेश कुमार ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत बी0आर0जी0एफ0 योजना में चयनित 14 ग्राम पंचायतों में किसी भी ग्राम पंचायत की कोई विकास परियोजनाओं का चयन वर्ष 2012 से अब तक न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, श्री राम चन्द्र यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा..

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बाराबंकी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर अवगत कराना है कि जनपद बाराबंकी में बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये विकास योजनाओं का चयन निकाय/पंचायतवार किया गया, जिसमें से ग्राम पंचायत अंश से उक्त विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम पंचायतों में कतिपय परियोजनाएं चयनित की गयी थीं। उक्त वित्तीय वर्ष की विकास अनुदान की धनराशि जनपद को रु0 10.45 करोड़ प्राप्त हुई थी जिसमें से रु0 5.85 करोड़ ग्राम पंचायत अंश का धन ग्राम पंचायतों को अवमुक्त किया गया था। उल्लेखनीय है कि ''बठौली से सिकरोहना'' सम्पर्क मार्ग बनीकोडर विकास खण्ड में पड़ता है जिसमें से जिला पंचायत राज अधिकारी बाराबंकी द्वारा उक्त विकास खण्ड की रतौली ग्राम पंचायत में 1 परियोजना ''अशरफपुर से रतौली'' सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण कराया गया है। अन्य ग्राम पंचायतों में बजट को दृष्टिगत रखते हुए अन्य परियोजनाओं पर धनावंटन नहीं किया जा सका।

इस सन्दर्भ में उल्लेख किया जाना है कि वर्ष 2012–13 की जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित सूची जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी द्वारा जिला पंचायत बाराबंकी को उपलब्ध करायी गयी जिसमें क्रम संख्या–1 से 10 तक की ग्राम पंचायतें विकास खण्ड बनीकोडर की विकास खण्ड देवां की क्रमांक 01 से 09 तक की ग्राम सभाएं अंकित की गयी हैं। इसी प्रकार सूची में अन्य विकास खण्डों की ग्राम सभाओं का भी उल्लेख है।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत ''जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत बी0आर0जी0एफ0 योजना में चयनित 14 ग्राम पंचायतों में किसी भी ग्राम पंचायत की कोई विकास परियोजनाओं का चयन वर्ष 2012 से अब तक न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में'' जिन 2 परियोजनाओं को अनुमोदित किये जाने का उल्लेख किया गया है उसमें विकास खण्ड बनीकोडर के अन्य ग्राम सभाओं के साथ ''बठौली से शिकरोहना तक 1.50 किमी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण जिसकी लागत धनराशि रु0 8.00 लाख है'' किया जाना जिला योजना समिति से अनुमोदित थी और इस हेतु ग्राम सभाओं को रु0 5.85 करोड़ की धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से अवमुक्त की गयी थी। ग्राम सभा बठौली से शिकरोहना तक 1.5 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग का कार्य प्रारम्भ न होने के कारण जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा इसी

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विकास खण्ड में अन्यत्र ग्राम अशरफपुर से रतौली सम्पर्क मार्ग नहर पर पुलिया निर्माण का कार्य कराया गया। शेष इस विकास खण्ड में किसी भी ग्राम सभा में कोई अन्य कार्य नहीं कराया गया।

वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में जिला योजना समिति द्वारा अन्य नये कार्य अनुमोदित किये गये इस कारण से बठौली से शिकरोहना तक लेपन का कार्य सम्पन्न नहीं हो सका। परन्तु कार्य की महत्ता को देखते हुए जिला योजना समिति द्वारा उक्त ग्राम में 1.5 कि0मी0 लेपन का कार्य अनुमोदित किया गया है।

वर्ष 2015–16 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना को भारत सरकार द्वारा डि–लिंक कर दिया गया है। अतः भारत सरकार से प्रश्नगत योजना डि–लिंक हो जाने के फलस्वरूप अब इस प्रकरण पर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।,

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र महराजपुर क्षेत्रान्तर्गत सनिगवां क्षेत्र के निवासियों को सीवर व पेयजल की सुविधा मुहैया कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24–3–2015 को नियम–51....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्के अन्तर्गत दी गयी सूचना में अवगत कराया गया है कि कानपुर महानगर के महाराजपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सनिगवां वार्ड स्थित सनिगवां, भाभानगर, सदानन्द नगर, सैनिक नगर और नगर निगम के अन्तर्गत अहिरवां गांव में विगत 40 वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत सीवर लाइन एवं पीने के पानी की पाइप लाइन डाली गयी, परन्तु 05 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी इसको चालू नहीं किया गया जिससे जहां एक ओर सरकारी पैसे का अपव्यय हुआ है, वहीं दूसरी ओर जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सीवर लाइन तथा पानी की पाइप लाइन चालू न होने के कारण स्थानीय नागरिकों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

2–उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कानपुर महानगर के महाराजपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सनिगवां वार्ड स्थित सनिगवां, भाभानगर, सदानन्द नगर, सैनिक नगर और अहिरवा गांव (नगर निगम के अन्तर्गत) के क्षेत्र हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजना सीवरेज वर्क्स इन सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–4 (पार्ट–3)

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के अन्तर्गत सीवर लाइन बिछाने एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है तथा बिछायी गयी सीवर लाइन की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है।

पेयजल योजना के अन्तर्गत सनिगवां वार्ड स्थित सनिगवां बस्ती को सनिगवां–1 जोनल पम्पिंग स्टेशन से आच्छादित किया जाना है। जोनल पम्पिंग स्टेशन के अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इस जोनल पम्पिंग स्टेशन से लगभग 20 प्रतिशत स्वच्छ पेयजल नलकूप से तथा 80 प्रतिशत गंगा बैराज स्थित जलशोधन संयंत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। नलकूप के माध्यम से उपलब्ध जल द्वारा 30 प्रतिशत पाइप लाइन की टेस्टिंग एवं कमीशनिंग का कार्य पूर्ण कर जनता को जल उपलब्ध कराया जा रहा है एवं शेष कार्य प्रगति पर है।

सनिगवां वार्ड स्थित भाभानगर, सदानन्द नगर, सैनिक नगर एवं अहिरवा गांव बस्तियों को सनिगवां–2 जोनल पम्पिंग स्टेशन से आच्छादित किया जाना है। जोनल पम्पिंग स्टेशन के अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। अब तक बिछायी गयी पाइप लाइन में से लगभग 65 प्रतिशत पाइप लाइन की टेस्टिंग एवं कमीशनिंग का कार्य पूर्ण कर जनता को जल उपलब्ध कराया जा रहा है एवं शेष कार्य प्रगति पर है।,

(घोर व्यवधान के मध्य)

मध्य लखनऊ में जल निकासी हेतु डाली गयी सीवर लाइनों को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी) द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा ....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख दिनांक 24–03–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में अवगत कराया गया है कि लखनऊ में जल निकासी की समस्या के निदान हेतु सीवर लाइनें डाली गयीं। मुख्य मार्गों को खोदकर उनमें बड़ी गहरी सीवर लाइन डाली गयी है और कालोनियों में जल निकासी की व्यवस्था हेतु सीवर लाइन से जोड़ने का कार्य किया गया है परन्तु इन सीवर लाइनों को डालकर छोड़ दिया गया है उन्हें अभी तक चालू नहीं किया गया है जिससे जल निकासी की समस्या जस की तस बनी है। जरा सी बरसात होने पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा सीवर के डिस्पोजल हेतु सीवर लाइन डाली गयी है। जल निकासी हेतु सीवर डालने का कोई कार्य नहीं कराया गया है। सीवर के डिस्पोजल हेतु डिस्ट्रिक्ट–1, डिस्ट्रिक्ट–3 पार्ट–1 एवं डिस्ट्रिक्ट–3 पार्ट–2 में लगभग कुल 1194 किलोमीटर सीवर लाइन डाली जानी थी जिसमें लगभग 1158 किलोमीटर सीवर लाइन डाली जा चुकी है और 860 किलोमीटर सीवर लाइन जलकल, नगर निगम को रख–रखाव हेतु हस्तगत कर दी गयी है।,

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक रोहनियां, ग्राम बाबा का पुरवा में निर्मित कच्चे मार्ग पर दबंगों द्वारा किये गये कब्जे को खाली कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा माननीय सदस्य, विधान सभा..

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

रू द्वारा दिनांक 24–03–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद–रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में ब्लाक रोहनियां के अन्तर्गत ग्राम बाबा का पुरवा पोस्ट इटौरा बुजुर्ग में गांव के दक्षिण दिशा श्री राम सुमेर वर्मा के खेत से शिवनारायन वर्मा एवं ककोरे वर्मा के खेत तक कच्चा मार्ग स्थित है। उक्त मार्ग को दबंगों द्वारा काटकर अपने खेत में मिला लिया गया है जो कि राजस्व नक्शे में भी दर्ज है। ग्रामवासियों व राहगीरों को कृषि करने हेतु व आने–जाने हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गयी परन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही न होने के कारण ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों में सरकार के प्रति जनाक्रोश व्याप्त है। मा0 सदस्य द्वारा उपरोक्त कच्चे मार्ग से दबंगों का कब्जा हटवा कर पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने एवं वक्तव्य की मांग की गयी है।

2–इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रायबरेली से प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया है कि श्री राम सुमेर वर्मा के खेत से श्री शिव नरायन वर्मा एवं ककोरे वर्मा के खेत तक स्थित मार्ग जो अभिलेखों में गाटा संख्या–2515 क्षेत्रफल 0.016 हे0 व 2539

नोट :–रू, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्रफल 0.053 अंकित है, को मौके पर जाकर खाली करा दिया गया है। समस्या का निराकरण करा दिया गया है। अब किसी प्रकार का विवाद नहीं है।,

जनपद हापुड़ में सरकारी भवनों के निर्माण एवं सरकारी वाहन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजराज सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री गजराज सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

वह उपस्थित नहीं हैं।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 53 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 17 अगस्त, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

देखिये अता0 प्र0 सं0 का उत्तर पीछे पृष्ठ–17 पर

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2015 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री अगयश राम सरन वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–14 का संलग्नक।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जनपद–पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र–130, बीसलपुर के चयनित ग्रामों एवं उनमें कराये गये विकास कार्यों का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	चयनित ग्राम	कराये गये विकास कार्य
1	2	3
2012–13	मीरपुर रतनपुर, पैनिया हिम्मत, हरूनगला उर्फ नौवा नगला, औडाझार।	सम्पर्क मार्ग नव निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, आन्तरिक गलियों/नालियों का निर्मा।, स्वच्छ शौचालय निर्माण, इन्दिरा आवास, तालाबों का जीर्णोद्धार, एस0जी0एस0वाई0, महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण, माध्यमिक विद्यालय निर्माण, टैबलेट पीसी वितरण, लैपटाप वितरण, स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण, पति की मृत्योपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान, वैकल्पिक विद्युत एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था, निःशुल्क बोरिंग, कृषि भूमि एवं सीलिंग से सरप्लस भूमि का आवंटन, आवास हेतु भूमि का आवंटन, मछली पालन हेतु तालाब का आवंटन, कुम्हारी कला हेतु भूमि का आवंटन, तालाब सुधार कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, बेरोजगारी भत्ता वितरण, वृद्धावस्था/किसान पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति वितरण, सामान्य जाति के बी0पी0एल0 के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण, विकलांग पेंशन वितरण, अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति वितरण, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण, पशुओं का टीकाकरण, पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, बीज प्रतिस्थापन, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा परीक्षण, ए0पी0एल0 व बी0पी0एल0 राशन कार्ड, अन्त्योदय राशन कार्ड आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आदि कार्यक्रमों को उक्त ग्रामों में पूर्ण

वर्ष	चयनित ग्राम	कराये गये विकास कार्य
		रूप से संतृप्त कर लिया गया है।
2013–14	बड़ेपुरा मरोरी, राठ, अण्डहा, उमरिया, गोहनियां, बुहिता।	सम्पर्क मार्ग नव निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, आन्तरिक गलियों/नालियों का निर्माण, स्वच्छ शौचालय निर्माण, इन्दिरा आवास, तालाबों का जीर्णोद्धार, एस0जी0एस0वाई0, महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण, माध्यमिक विद्यालय निर्माण, टैबलेट पीसी वितरण, लैपटाप वितरण, स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण, पति की मृत्योपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान, वैकल्पिक विद्युत एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था, निःशुल्क बोरिंग, कृषि भूमि एवं सीलिंग से सरप्लस भूमि का आवंटन, आवास हेतु भूमि का आवंटन, मछली पालन हेतु तालाब का आवंटन, कुम्हारी कला हेतु भूमि का आवंटन, तालाब सुधार कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, बेरोजगारी भत्ता वितरण, वृद्धावस्था/किसान पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति वितरण, सामान्य जाति के बी0पी0एल0 के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण, विकलांग पेंशन वितरण, अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति वितरण, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण, पशुओं का टीकाकरण, पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, बीज प्रतिस्थापन, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा परीक्षण, ए0पी0एल0 व बी0पी0एल0 राशन कार्ड, अन्त्योदय राशन कार्ड आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आदि कार्यक्रमों को उक्त ग्रामों में पूर्ण रूप से संतृप्त कर लिया गया है।
2014–15	मवैश, मानपुर मरौरी, फिरसहा, चुरोहा, लिलहर।	सम्पर्क मार्ग नव निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, आन्तरिक गलियों/नालियों का निर्माण, स्वच्छ शौचालय निर्माण, इन्दिरा आवास, तालाबों का जीर्णोद्धार, राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन, महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण, पति की मृत्योपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक

वर्ष	चयनित ग्राम	कराये गये विकास कार्य
		अनुदान, वैकल्पिक विद्युत एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था, निःशुल्क बोरिंग, कृषि भूमि एवं सीलिंग से सरप्लस भूमि का आवंटन, आवास हेतु भूमि का आवंटन, मछली पालन हेतु तालाब का आवंटन, कुम्हारी कला हेतु भूमि का आवंटन, तालाब सुधार कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, बेरोजगारी भत्ता वितरण, वृद्धावस्था/किसान पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, सामान्य जाति के बी0पी0एल0 के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण, विकलांग पेंशन वितरण, पशुओं का टीकाकरण, पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, बीज प्रतिस्थापन, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा परीक्षण आदि कार्यक्रमों को उक्त ग्रामों में पूर्ण रूप से संतृप्त कर लिया गया है। ग्राम मवैइया में आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति वितरण हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं है।
2015–16	भगवतीपुर, रूरिया घुरिया, नौगवा नबीनगर तथा कबूलपुर।	सम्पर्क मार्ग नव निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ शौचालय निर्माण, इन्दिरा आवास, तालाबों का जीर्णोद्धार, राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन, महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण, पति की मृत्योपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान, वैकल्पिक विद्युत एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था, निःशुल्क बोरिंग, कृषि भूमि एवं सीलिंग से सरप्लस भूमि का आवंटन, आवास हेतु भूमि का आवंटन, मछली पालन हेतु तालाब का आवंटन, कुम्हारी कला हेतु भूमि का आवंटन, तालाब सुधार कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, वृद्धावस्था/किसान पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति वितरण, सामान्य जाति के बी0पी0एल0 के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण, विकलांग पेंशन वितरण, अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति वितरण, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण, पशुओं का टीकाकरण, पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान,

वर्ष	चयनित ग्राम	कराये गये विकास कार्य
		बीज प्रतिस्थापन, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा परीक्षण कार्यक्रमों हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं है। आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी एवं बीज प्रतिस्थापन कार्यक्रम उक्त ग्रामों में पूर्ण रूप से संतृप्त कर लिये गये हैं।

पी0एस0यू0पी0–एल0 143 विधान सभा (259)–15–10–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।